

पचा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजरव) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 288 / 2025

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--|
| 1. सोनू | पि0 धर्मपाल टिब्बी । | जाति जाट निवासीयान 5 कंएचआर माणक टिब्बी
तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ । |
| 2. कालूराम | | |
| 3. अनिल कुमार | पि0 जगदीश | |
| 4. शकरलाल | | |
| 5. भूपसिंह पुत्र महावीर | | |
| 6. इन्द्रपाल | पुत्रगण विजयसिंह | |
| 7. अरविन्द कुमार | | |

वादीगण

बनाम्

- | | |
|--|--|
| 1. पार्वती पुत्री धर्मपाल पत्नी जगदीश | जाति जाट निवासी सिकवाला तहसील लम्बी
जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब । |
| 2. कविता पुत्री धर्मपाल पत्नी सतपाल | |
| 3. गुह्ठी देवी पत्नी जगदीश | अकवाम जाट निवासी 5 केएचआर माणक टिब्बी |
| 4. गीता देवी पत्नी महावीर | तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ । |
| 5. कविता पुत्री महावीर पत्नी पवन कुमार | जाति जाट निवासी खारेंका तहसील
व जिला सिरसा । |
| 6. रिमा देवी पुत्री महावीर पत्नी सुशील कुमार | |
| 7. विद्यादेवी पत्नी विजयसिंह | अकवाम जाट निवासी 5 केएचआर माणक टिब्बी |
| 8. रचना पुत्री विजय सिंह | तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ । |
| 9. भावना पुत्री विजय सिंह पत्नी राजेन्द्र | जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ । |
| 10. कामरेट | माता सावित्री पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी मतूवाला तहसील |
| 11. मोहनलाल | रानियां जिला सिरसा । |
| 12. निर्मला | माता सावित्री पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी बारेका जिला फाजिल्का । |
| 13. शारदा देवी | माता सावित्री पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ । |
| 14. मन्जू | माता सावित्री पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला सिरसा । |

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 29/9/25.....

28

समक्ष वकील

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैल सिंह अंतिम
निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति
के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर


घोषणा की जाती है क.वादीगण सं० 1. सोनू व वादी सं० 2 काळूराम को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी - चकनं० 5 केएचआर के खाता सं० 118/174 में कुल 3.655 है० आराजी में श्योकौरी के 1/5 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा ब०हि०ब०

ख.वादी सं० 3 अचिल कुमार व वादी सं० 4 शंकरलाल को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी - चकनं० 5 केएचआर के खाता सं० 118/174 में कुल 3.655 है० आराजी में श्योकौरी के 1/5 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा ब०हि०ब०

ग.वादी सं० 5 भूपसिंह को प्राप्त आराजी - चकनं० 5 केएचआर के खाता सं० 118/174 में कुल 3.655 है० आराजी में श्योकौरी के 1/5 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा

घ. वादी सं० 6 इन्द्रपाल व वादी सं० 7 अरविन्द कुमार को ब०हि०ब० प्राप्त आराजीरु-चकनं० 5 केएचआर के खाता सं० 118/174 में कुल 3.655 है० आराजी में 1/5 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा तथा विजय सिंह के नाम की 1/5 हिस्सा की आराजी ब०हि०ब० आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते है व चक नं० 5 केएचआर के खाता सं० 118/174 में से श्योकौरी व विजयसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकवे को यथावत रखते हुए यदि किराी राक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(स.नारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

